"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

क्रमांक-4499/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) जो दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा.

धारा 10 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "पचास लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खंड (तीन) की प्रविष्टि क्रमांक (3) में, अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "1.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 22 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में, शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच कैलेण्डर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 25 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (7) में, अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अट्ठारह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 41 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (2) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 49 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(घ) कोई पुनरीक्षण, तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यापारी या व्यक्ति, कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल देय राशि में से, ऐसे कर और ब्याज की राशि, जो उनके द्वारा देय होना मान्य हो, का भुगतान नहीं कर देता."

उद्देश्य और कारणों का कथन

छोटे व्यवसायियों को राहत प्रदान करने के लिये, कतिपय व्यवसायियों द्वारा करदाताओं से संग्रहित कर का अपने स्वयं के लिए दुरुपयोग की प्रवृत्ति को रोकने तथा पुनरीक्षण कार्यवाहियों में कर का भुगतान न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के विद्यमान प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन किया जाए.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 मार्च, 2013

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 10 (2), 19 (4), 22 (1), 25 (7), 41 (2) एवं धारा 49 (1) के संबंध में सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

1. धारा 10 (2) (अ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात् अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय कर रहा हो और/या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर रहा हो, और/या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो पके अन्न (कुक्ड फुड) का निर्माण करता है, और ऐसे माल का राज्य के भीतर विक्रय करता है, और जिसकी कुल राशि (टर्नओवर) किसी वर्ष में साधारणतया पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होती है, ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने के या रजिस्ट्रेशन के दिनांक, जो कि व्यवसाय प्रारंभ होने के पश्चात् उस वर्ष में जारी किया गया है, यथास्थिति तीन माह के भीतर विहित प्ररूप में धारा 8 के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में एक मुश्त राशि ऐसी दर से, ऐसी रीति में तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित किए जाएं, चुकाने का विकल्प ले सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

2. धारा 19 (4) (क) यदि उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी,—

(एक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में, किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर की राशि का भुगतान नहीं करता है; या

(दो) उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके उसमें, उसके द्वारा मूल विवरणी में दर्शाई गई कर की रकम से अधिक कर की रकम शोध्य होना दर्शाता है; या

(तीन) विवरणी नहीं देता है, तो ऐसा व्यापारी,—

(1) विवरणी के अनुसार उसके द्वारा कर; या

(2) पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार देय कर की रकम के अन्तर; या

(3) उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसने विवरणी नहीं दी है, देय कर के संबंध में 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

3. धारा 22 (1) आयुक्त कर निर्धारण के आदेश अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय अथवा आदेश की तारीख से तीन कलैण्डर वर्ष की कालावधि के भीतर, किसी भी समय, विहित प्रारूप में नोटिस जारी करके ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उस कर का जो ऐसे व्यापारी द्वारा देय है यथास्थिति, कर निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा कर के लिए उसका निर्धारण या पुन: निर्धारण कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

4. धारा 25 (7) यदि, किसी कारण से, कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, उस पर निर्धारित किए गए कर, देय या उद्गृहित ब्याज या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई शास्ति, या कर निर्धारण से पूर्व अग्रिम में उसके द्वारा देय कर का भुगतान उस समय के भीतर, जो कि मांग की सूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, करने में असमर्थ है, तो वह आयुक्त को लिखित में यह आवेदन कर सकेगा कि ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए उसे और अधिक समय मंजूर किया जाए या यह कि ऐसी रकम किश्तों में चुकाने की उसे अनुज्ञा दी जाए. ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, आयुक्त ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को और समय मंजूर कर सकेगा या ऐसी रकम का भुगतान किश्तों में भुगतान करने के लिए उसे ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि अधिरोपित करना वह उचित समझे, अनुज्ञात कर सकेगा, जहां समय कुछ बढ़ा दिया गया है या किश्तों में भुगतान करने की अनुज्ञा दे दी गई है वहां व्यापारी या व्यक्ति ऐसी रकमों पर ब्याज का भुगतान ऐसी अंतिम तारीख से, जिसको कि रकम ऐसी मांग की सूचना के अनुसार चुकायी जानी चाहिए थी, करने के दायित्वाधीन होगा. ब्याज ऐसी अंतिम तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चुकाया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

5. धारा 41 (2) प्रत्येक व्यापारी जिसकी कुल राशि (टर्नओव्हर) वर्ष में साठ लाख से अधिक है, वह अपने लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट से विहित तारीख के पूर्व कराएगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसी की विहित की जाय, देगा.

* * * * * * * * * * * * * *

6. धारा 49 (1) (1) आयुक्त—

(एक) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, कि जिसमें धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, या

(दो) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा,

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसे जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर जैसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो पारित कर सकेगा:

(क) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त अथवा अधिकरण के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है,

(ख) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण, आदेश पारित किये जाने के पश्चात् की होगा, अन्यथा नहीं, और

(ग) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा.

* * * * * * * * * * * * * *